



पूर्वमध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश सं०: अराज०/20/2021

दिनांक: 04.03.2021

इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: ECR-HQ0ACCT(ADMN)/63/2020 (Computer No. 13097) दिनांक: 17.11.2020 के आलोक में दिनांक: 22.01.2021 को लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था जिसमें सेवा-अभिलेख मुल्यांकन हेतु अर्हक अंक पाने वाले कुल 02 (दो) अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 08.02.2021 के द्वारा किया गया था।

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सेवा-अभिलेख मुल्यांकन के उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को लेखा लिपिक-सह-टंकक पद हेतु योग्य पाया गया है तदनुसार इन्हे 8.33% कोटे के विरुद्ध लेखा लिपिक-सह-टंकक, ग्रेड पे० 1900/- (Level 2) के पद हेतु अस्थायी रूप से नामिकाबद्ध किया जाता है। पैनल में नामिकाबद्ध अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से लेखा लिपिक-सह-टंकक, ग्रेड पे० 1900/- (Level 2) के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

(वरीयता क्रम में)

Sl. No.	Name of Staff (Shri/Smt.)	Desig.	Community	Present place of Posting	Posting on Promotion under
1	Akansha Minz	OAA	ST	Sr. DFM/DHN	Sr. DFM/DHN
2	Sandeep Rajak	OAA	SC	HQ/Fin/HJP	Sr. AFA/Admn/HJP

नोट:- यह पदोन्नति अनंतिम आधार पर है तथा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- I. पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति की तिथि से दो वर्षों के भीतर RBE No. 19/2011 दिनांक: 04.02.2011 के अनुसार टंकण परीक्षा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। दो वर्षों के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने वाले कर्मचारियों को पदावनत कर दिया जायेगा।
- II. पदोन्नत कर्मचारियों को वहीं प्रशिक्षण पाना होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो सीधी भर्ती के तहत आने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है तथा उनकी सेवा शर्त भी उन्ही के अनुकूल होगी।
- III. कम संख्या 2 पर अवस्थित अभ्यर्थी आरक्षित कोटि की रिक्तियों को भरने हेतु तदर्थ (Ad-hoc) आधार पर 'Best among the failed candidates' नीति के तहत छः महीने के लिए 'सर्विस ट्रेनी' (In-service trainee) के रूप में पदोन्नति के योग्य पाये गये हैं। तत्काल पर्यवेक्षक (Immediate Supervisor) के द्वारा श्री संदीप रजक के प्रदर्शन की समीक्षा हर महीने की जानी चाहिए जो उन्हे उपयुक्त मार्गदर्शन भी देंगे। छः महीने के बाद उनके प्रदर्शन को नियमितिकरण पर विचार करने हेतु वसविस/प्रशा./हाजीपुर को भेजा जाना चाहिए।

इसे प्रविस के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[Authority: Note#67 of E file No. ECR-HQ0ACCT(ADMN)/63/2020 (Computer No. 13097)]

Arvind 3-21
(अरविन्द कुमार सिन्हा)

वसविस/प्रशा.

कृते प्रधान वित्त सलाहकार

संख्या: ECR-HQ0ACCT(ADMN)/63/2020 (Computer No. 13097)

दिनांक: 04.03.2021

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव/प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ
2. विसमुलेधि(सा०)/हाजीपुर
3. विसमुलेधि/(का०, भ० एवं या०)/हाजीपुर
4. विसमुलेधि/(वित्त एवं बजट)/हाजीपुर
5. विसमुलेधि(निर्माण)/पटना
6. विसमुलेधि(कारखाना परियोजना)/पटना
7. विसमुलेधि(मधेपुरा एवं मढौरा)/पटना
8. उप विसमुलेधि/(सा०)/हाजीपुर,
9. उप विसमुलेधि (वित्त एवं बजट)/हाजीपुर
10. उप विसमुलेधि/(का०एवं भ०)/हाजीपुर,
11. वरिष्ठ ईडीपी मैनेजर/हाजीपुर
12. वमंविप्र/दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
13. वसविस/यातायात/समन्वय/हाजीपुर,
14. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना एवं मुजफ्फपुर
15. वसविस/सविस/वित्त/व्यय/स्थापना(अराज०)/स्थापना(राज०)/बजट/खाता/पी.एफ.
/पेंशन/दक्षता/निरिक्षण/ऑडिट/एन.पी.एस.
16. वसविस/सविस/पी.डी. मुगलसराय, सीआरडब्लू हरनौत एवं कारखाना समस्तीपुर
17. वसविस/रोकड एवं भुगतान हाजीपुर, आर.ई दानापुर
18. सचिव ईसीआरकेयु,
19. सूचना पटल

Anish-3.21
कृते प्रधान वित्त सलाहकार